बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06 / विविध–16 / 2018 2875 खाद्य / दिनांक 15.06.18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :– Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा माह जुलाई, 18 से दिसम्बर, 2018 हेतु मासिक आवंटित खाद्यान्न 1084.5 क्वींटल चावल एवं 723 क्वींटल गेहूँ को बी0पी0एल0 दर उपावंटित करने के संबंध में ।

प्रसंग :– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पत्रांक–479 दिनांक 28.05.2018, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का पत्रांक–1316 दिनांक 28.05.2018, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पत्रांक 1158 दिनांक 28.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभागीय पत्र सं0–2573 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार से छः माह हेतु कुल 6507 क्वींटल चावल एवं 4338 क्वींटल गेहूँ का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । उक्त अनुरोध के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 4-6/2018-BP-II दिनांक 12.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा माह जुलाई, 18 से दिसम्बर, 2018 हेतु प्रत्येक माह 1084.5 क्वींटल चावल एवं 723 क्वींटल गेहूँ का आवंटन बी0पी0एल0 दर पर उपलब्ध कराया गया है । उक्त आवंटित खाद्यान्न को विभागवार निम्नवत् उपावंटित किया जाता है:–

मात्रा क्वींटल में

क्र0	विभाग का नाम	छात्र / छात्राओं की संख्या	खाद्यान्न की मात्रा (प्रति छात्र / छात्रा 9 कि0ग्रा0 चावल एवं 6 कि0ग्रा0 गेहूँ की दर से)	
			चावल	गेहूँ
1.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	3350	301.5	201
2.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	5500	495	330
3.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3200	288	192
	कुल :–	**12050**	**1084.5**	**723**

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित पत्र के आलोक में खाद्यान्न का जिलावार आवंटन निर्गत करते हुए जिलास्तरीय पदाधिकारियों को छात्रावासवार उपावंटन निर्गत कर जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाय । खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम से ससमय उठाव हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को बी0पी0एल0 दर पर मासिक आवंटन का Revolving fund के रूप में तीन माह की अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । खाद्यान्न को योग्य लाभुकों के बीच उचित रीति एवं पहचान कर आवंटित करते हुए, वितरित किये गये खाद्यान्न की मात्रा का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि भारत सरकार से माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 हेतु खाद्यान्न की अधियाचना की जा सके ।

विश्वासभाजन

अनु0:– यथोक्त ।

15/6

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र06 / विविध–16 / 2018 2575 खाद्य / दिनांक 15.06.18

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को भारत सरकार के पत्रांक 4-6/2018-BP-II दिनांक 12.06.2018 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:– यथोक्त ।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र06 / विविध–16 / 2018 2575 खाद्य / दिनांक 15.06.18

प्रतिलिपि –सभी जिला पदाधिकारी / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, अरूणाचल भवन, पटना को भारत सरकार के पत्रांक 4-6/2018-BP-II दिनांक 12.06.2018 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:– यथोक्त ।

15/6

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र06 / विविध–16 / 2018 2575 खाद्य / दिनांक 15.06.18

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

15/VI

सरकार के अपर सचिव।

D:\Gen 2017-\SECTION-06\Vividh Avv.doc

File No.4-6/2018

No.4-6/2018-BP-II
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 12th June, 2018

To
The Chairman-cum-Managing Director,
Food Corporation of India,
16-20, Barakhamba Lane, New Delhi - 110001

Subject: Allocation of foodgrains under **Welfare Institutions & Hostels Scheme** for the period **July, 2018 to December, 2018.**

Sir,

In continuation of this Department's allocation orders dated 23.04.2018, 22.05.2018, 28.05.2018, 05.06.2018 and 12.06.2018, I am directed to convey the approval of the Government of India for monthly allocation of **108.45 MT of rice and 72.30 MT of wheat at BPL prices** to the **Government of Bihar** under Welfare Institutions & Hostels Scheme for the period July, 2018 to December, 2018 as the State Govt. has sought these allocation of foodgrains vide their letter dated 30.5.2018.

2. Food Corporation of India (FCI) will ensure that the said quantity of food grains is issued to the representative/nominee of the State as per district-wise sub allocation to be made by it on pre-payment basis at BPL rate from their nearest depot. The FCI may issue suitable instructions to their Regional Offices in this regard under intimation to this Department and also ensure uninterrupted supply of food grains from their nearest depot

3. Proper implementation and monitoring of the scheme will be the responsibility of the State Government. Allocation for remaining period i.e. January 2019 to March 2019 will be considered only on receipt of proposal and Utilization Certificate from the State Govt. under the scheme.

4. The validity period for depositing the cost and lifting of allocated food grains for the month of July 2018 will be 30 days from the date of issue of this letter. For the remaining months (i.e. August to December 2018)), the validity period for lifting the allocated food grains will be the last day of the month preceding the allocation month and the cost of foodgrains shall be deposited with the FCI so much in advance that the lifting is completed in time.

Yours faithfully,

(Asit Halder)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. The Food Secretary, State Govt. of Bihar – with the request to upload the details of beneficiary institutions/hostels on the web portal of the state before seeking further allocation. The onus for non allocation of food grains on account of non uploading the details of beneficiary institutions/hostels on the web portal will rest entirely upon the State Govt.
2. General Manager (Sales), FCI, New Delhi.